

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक - 01 मार्च, 2001

**विषय : बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठकों को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-41 (1) के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश देते हैं :-

1. बोर्ड बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार अवश्य आयोजित की जाये।
2. विधान मण्डल की बैठकों के दिन एवं सत्र के दौरान बोर्ड की तिथि निर्धारित न की जाये।
3. बोर्ड बैठक, बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही की जाये। परन्तु अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में अध्यक्ष अथवा शासन की अनुमति से उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड की अध्यक्षता की जा सकती है।
4. प्राधिकरण के सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तिथि, समय व स्थान, की सूचना कार्य सूची सहित बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व जारी की जाये।
5. कार्यसूची में अनुपूरक सामग्री सहित अधिकतम 50 मद ही रखे जायें अपरिहार्य कारणों से यदि अधिक मद बोर्ड के समक्ष लाये जाने हों तो पुनः बैठक की जा सकती है।
6. अनुपूरक कार्यसूची में मदों की संख्या मूल कार्यसूची की संख्या से किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. बोर्ड के सभी सदस्यों सहित शासन को कम से कम 10 कार्य दिवस पूर्व एजेण्डा नोट उपलब्ध करा दिया जाना अनिवार्य है जिससे कि उसके समुचित परीक्षणोपरान्त शासन से नामित अधिकारी बैठक में भाग ले सकें।
8. कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्ताव उपाध्यक्ष के अनुमोदन से अथवा अध्यक्ष एवं शासन के निर्देश पर ही सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उससे सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं।
9. बोर्ड में कार्मिक से सम्बन्धित प्रस्ताव जैसे नवीन पद सृजन, नियुक्ति एवं पदोन्नति आदि पर लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।
10. बैठक में कोई भी ऐसा निर्णय पारित न किया जाये जो स्टैंडिंग शासनादेश के विरुद्ध हो। बोर्ड केवल शासन से पुर्नविचार अथवा आवश्यक छूट हेतु अनुरोध/संस्तुति कर सकती है। समय-समय पर शासन से जारी शासनादेशों एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना उपाध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व होगा।
11. बोर्ड बैठक में केवल अधिकृत सदस्य ही भाग ले सकेंगे, तथा प्रतिनिधि के रूप में अन्य किसी को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु अधिनियम की व्यवस्थानुसार पदेन सदस्यों के प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सकेंगे।
12. बोर्ड बैठक में यथा आवश्यक किसी विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य उपयोगी व्यक्ति की उपस्थिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष अथवा शासन के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु उनको मताधिकार नहीं होगा।

13. बोर्ड बैठक में सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या को सामान्य कोरम माना जायेगा प्रतिबन्ध यह रहेगा कि उसमें शासन का प्रतिनिधि अवश्य सम्मिलित हो। बैठक में यह प्रयास किया जाये कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से हों परन्तु ऐसा न होने पर निर्णय बहुमत से लिया जायेगा। बराबर संख्या में मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा तथा बैठक के संचालन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

14. प्रत्येक बोर्ड बैठक के अन्त में उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया गया है तथा शासनादेशों के विपरीत कोई कार्य अथवा नियमित भर्ती एवं पद सृजन नहीं किया गया है।

15. बैठक के दौरान सदस्यों की उपस्थिति तथा प्रारम्भ से अन्त तक बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड प्राधिकरण के सचिव द्वारा रखा जायेगा तथा कार्यवृत्त अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त, तुरन्त निर्गत कर बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की जायेगी। यदि कार्यवृत्त में अंकित निर्णय के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति होती है तो वह लिखित रूप से प्राधिकरण के सचिव को कार्यवृत्त निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने हेतु सूचित करेंगे। जिसको संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण के सचिव अगली बैठक में उसे पुनः प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे निर्णयों का क्रियान्वयन अगली बैठक में निर्णय हो जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

16. बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किसी विषय पर, स्वतः निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने हेतु गठित किसी समिति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को अधिकृत नहीं किया जायेगा। बल्कि उसकी संस्तुतियों को अंतिम निर्णय हेतु पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

17. यथा सम्भाव परिचालन द्वारा किसी विषय पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया न अपनाई जाये परन्तु किसी महत्वपूर्ण प्रकरण पर अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो प्रस्ताव बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये तथा पुष्टि आगामी बैठक में अवश्य कराई जाये।

18. प्रत्येक बोर्ड बैठक में निम्न बिन्दुओं पर उपाध्यक्ष के द्वारा सूचना अवश्य प्रस्तुत की जाये।

(क) प्राधिकरण की आय बढ़ाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण।

(ख) प्राधिकरण सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के सम्बन्ध में किए गये प्रयासों का विवरण।

(ग) प्राधिकरण की कितनी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण।

(घ) महत्वपूर्ण शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

**संजय भूसरेड्डी**

विशेष सचिव

संख्या - 1106(1)/9-आ-1(आ0बा0) बोर्ड बैठक/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास विभाग।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
**संजय भूसरेड्डी**  
विशेष सचिव